

११५...२२-६-२२.को पेश है

२२-६-२२ पत्रावली पेश हुई वकील अपाधी उपस्थित।
वकील प्राधी अनुपस्थित। बार-बार आवाज
दिलवाई गयी साथ ५.३५ बजे उनके बीच बार-
बार आवाज दिलवाने के बावजूद प्राधी व
वकील प्राधी में से कोई उपस्थित नहीं।
अतः प्राधी का प्राधान्य-प्रकार खारिज किया
जाता है पत्रावली फंसल नुमां होकर नम्बर
से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनाथ (अजमेर)

